कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या: प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2022/7817 लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

आवंटन पत्र

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा सांयकालीन तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30.08.2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता एवं संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 1645-MEHALVAAR INSTITUTE OF PHARMACY

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992 विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्रविशा/सचिव/सम्बद्धता/2021-22/1337 लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

"कार्यालय ज्ञाप"

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पालीटेक्निक काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा पैरिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता, पूर्व से संचालित संस्थानों को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

- सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मेसर्स को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उपरांत अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :

संस्था का कोड एवं नाम : 1645-BEDHALWAAR INSTITUTE OF PHARMACY,JAKHARA,STATION ROAD,ATRAULI, ALIGARH-202001

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एन.आई.सी.टी.ई/पी.सी.आई. द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एन.आई.सी.टी.ई/पी.सी.आई. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, संशोधित विनियमावली 2016 तथा जारी निर्देश नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश पाठ्यक्रमों में प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों से शुल्क के अलावा में समय-समय पर शासन द्वारा नियत किये जाने वाले शासकीय प्रावधानों होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शीघ्र निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु शुल्क का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शीघ्र की संशोधन दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/पीसीआई/एनसीटीवीटी तथा उत्तर प्रदेश सरकार/संस्थानों को सम्बद्ध किया जाना विनियमावली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में तदुपरान्त प्रवेश परिषद परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के दिशानिर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को शासन/सरकार के निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/पीसीआई/एनसीटीवीटी के अनापत्ति का हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी गये विज्ञापनों/अधिसूचनाओं/शासनादेशों/निर्देशों एवं नियमों, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, तदुपरान्त प्रवेश परिषद परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा जारी गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्था यदि दो सी.ओ. आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और शैक्षिक सत्र में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, तदुपरान्त प्रवेश परिषद परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई पत्र प्राप्त किया जाता है तथा प्राप्त पत्र के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिकूलि संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को तदुपरान्त प्रवेश परिषद परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परिषद हेतु काउन्सिलिंग प्राप्त होने के पूर्व पी.सी.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित संख्या स्वतः ही लौटी जायेगी। अनुपालन नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत महाविद्यालय आवंटन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर शासन की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की डिस्टेंस यूनि भूमि, भवन, छात्र-छात्रा, उपकरण, प्रवेश किए जाने वाले शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ शैक्षणिक के समय में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या: प्रविशा/ परिषद/ सम्बद्धता/ [illegible] लखनऊ: दिनांक: 10-8-2020

"कार्यालय ज्ञाप"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]